कार्यालय, जिला परियोजना समन्वयक

जिला शिक्षा केन्द्र, दतिया

आवेदन क्रमांक: 179506 **आवेदन का प्रकार : नवीनीकरण मान्यता** **मान्यता दिनांक - 20/02/2025**

प्रति,

अध्यक्ष,

Shri Swami Ji Maharaj Jan Sahyog Shiksha Samiti

S Sm Ram Anamay World School

DATIA, दतिया , मध्यप्रदेश

विषयः- **निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के नियम 11 के उपनियम (4) के अधीन स्कूल के लिए मान्यता प्रमाण पत्र।**

महोदय / महोदया,

आपके आवेदन पत्र दिनांक **15/01/2025** तथा इस संबंध में स्कूल से पश्चात्वर्ती पत्र व्यवहार/ निरीक्षण के संदर्भ में, मैं आपके - **S Sm Ram Anamay World School** स्कूल आईडी -PS**59795** विकासखंड-**DATIA** को स्कूल का प्रकार **प्राथमिक सह माध्यमिक,** शिक्षण का माध्यम **अंग्रेजी** कक्षा **प्री प्राइमरी-नर्सरी** से **आठवीं** तक के लिए दिनांक **01/04/2025** से **31/03/2028** तक कालावधि के लिए मान्यता प्रदान करता हूँ।

उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्यधीन होगी :-

1. मान्यता विस्तारित नहीं होगी तथा कक्षा 8 से आगे की मान्यता की कोई बाध्यता किसी भी रूप में विवक्षित नहीं होगी।
2. स्कूल निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 तथा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के उपबंधों का पालन करेगा।
3. स्कूल, अपने पड़ोस की सीमा के वंचित समूह तथा कमजोर वर्ग के बालकों को स्कूल की प्रथम प्रवेशित कक्षा में 25 प्रतिशत प्रवेश देगा। उस दशा में, स्कूल यदि सहायता प्राप्त स्कूल है तो इसमे प्रवेशित बालकों को उस अनुपात में निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा देगा जिस रूप में उसके वार्षिक आवर्ती व्यय को पूरा करने हेतु इस प्रकार वार्षिक आवर्ती सहायता या अनुदान प्राप्त होता है।
4. पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए स्कूल को अधिनियम की धारा 12 (2) के अनुसार व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी तथा ऐसी प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए स्कूल को पृथक् से बैंक खाता उपलब्ध कराना होगा।
5. सोसाइटी/स्कूल कोई भी कैपिटेशन फीस का संग्रह नहीं करेगा तथा बालक या उसके पालक या अभिभावक के साथ किसी छानबीन प्रक्रिया को नहीं अपनाएगा।
6. स्कूल किसी भी बालक को प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा-
   (क) आयु के सबूत के आभाव में ;
   (ख) यदि प्रवेश के लिए विहित की गई विस्तारित कालावधि के पश्चयात ऐसा प्रवेश चाहा गया है;
   (ग) धर्म, जाति या मूलवंश, जन्मस्थान या इनमें से किसी भी आधार पर |
7. स्कूल सुनिश्चित करेगा कि –
   (क) प्रायमरी स्कूल में किसी प्रवेशित बालक को स्कूल में प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण होने तक निष्कासित नही किया जाएगा।
   (ख) प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक बालक को कक्षा 5 एवं 8 को छोड़कर अन्य कक्षाओं में बाधा रहित कक्षोन्नति प्रदान की जायेगी।
   (ग) किसी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक रूप से प्रताडित नहीं किया जाएगा;
   (घ) नियम 19 के अधीन प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बालक को प्रमाण पत्र दिया जाएगा।
   (ड.) अधिनियम के उपबंधों के अनुसार दिव्यांग/विशेष आव'यकता वाले बालकों को समाहित किया जाएगा;
   (च) अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन निर्धारित योग्यता अनुसार शिक्षक ही कार्यरत रखे जाये। स्कूल में अधिनियम की धारा 19 एवं 25 में उल्लेखित मापदंड़ों के पूर्ति करते हुये मान्यता अवधि तक शिक्षको की नियुक्ति की व्यवस्था बनाए रखी जायेगी।
   (छ) शिक्षको को अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट उसके कर्तव्यों का पालन करना होगा;
   (ज) प्रायवेट शिक्षण की गतिविधियों में शिक्षक स्वयं भाग नहीं लेंगे/लेंगी।

(झ) भारत की राष्ट्रीय भवन संहिता भाग-4 के अधीन विर्निदिष्ट सन्नियमों के अनुरूप अग्नि सुरक्षा की व्यवस्था स्थापित हो।

(ञ) प्रतिवर्ष बच्चों से प्रभारित की जाने वाली फीस ऐसी रीति में अधिसूचित की जाए जो आयुक्त राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ होने के पूर्व निर्देशित की जाए तथा इसकी सूचना शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ होने के पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी को भी दी जाए। मध्यप्रदेश निजी विधालय विनियमन बोर्ड के नियमों के अनुसार ही फीस में बढोत्तरि की जा सकती है।

8. स्कूल समुचित प्राधिकारी व्दारा निर्धारित पाठ्यचर्या का अनुसरण करेगा।

9. स्कूल अधिनियम की धारा 19 में विहित किए अनुसार स्कूल में उपलब्ध सुविधाओं के अनुपात में बालकों का नामांकन करेगा।

10. स्कूल द्वारा अधिनियम की धारा 19 में विनिर्दिष्ट स्कूल के मानक एवं मापदण्ड बनाए रखे जाएंगे। अंतिम निरीक्षण के समय स्कूल में उपलब्ध सुविधाएं निम्नानुसार पाई गयीं-

1. स्कूल के भवन की स्थिति	**स्वयं का भवन**
2. स्कूल परिसर का क्षेत्रफल	**146300**
3. कुल निर्मित क्षेत्रफल	**6000**
4. खेल मैदान का क्षेत्रफल	**140300**
5. कक्षाओं के कमरों की संख्या	**15**
6. प्रधानाध्यापक कक्ष-सह-कार्यालय-सह-स्टोर कक्ष	**3**
7. लड़कों और लड़कियों के लिए पृथक् प्रसाधन	**हाँ**
8. स्वच्छ पेयजल सुविधा	**हाँ**
9. मध्यान्ह भोजन के लिए रसोई घर	**1**
10. बाधा रहित प्रवेश की सुविधा	**हाँ**
11. पठन-पाठन सामग्री	**हाँ**
12. खेल एवं खेलकूद उपकरण	**हाँ**
13. पुस्तकालय की उपलब्धता	**हाँ**
14. शिक्षको की संख्या	**12**

11. लेखे संपरीक्षित किए जाएंगे तथा चार्टड एकाउन्टेंट व्दारा सत्यापित होंगे और उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार होगा। प्रत्येक लेखाओं के विवरणों की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला परियोजना समन्वयकको भेजी जाएगी।

12. आपके स्कूल को आवंटित मान्यता कोड नम्बर **59795** है। इस कार्यालय के साथ कसिी भी पत्राचार में यह कोड नम्बर संदर्भति कए जाएं।

13. स्कूल ऐसी रिपोर्ट और जानकारी प्रस्तुत करेगा, जो स्कूल शिक्षा विभाग/राज्य शिक्षा केन्द्र/जिला शिक्षा केन्द्र व्दारा समय-समय पर अपेक्षित की जाए, और स्कूल राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशो का पालन करेगा, जैसा कि स्कूल के संचालन की कमियों को दूर करने के लिए अथवा मान्यता की शर्तो की निरन्तर पूर्ति सुनिश्चित करने हेतु जारी किए जाएं।

14. यदि कोई शाला उसके छात्रों को वाहन की सुविधा उपलब्ध कराती है तो उसे सुनिश्चित करना होगा कि वाहन हेतु सरकार द्वारा यथा विहित सुरक्षा सन्नियमों का पालन हो रहा है। शाला को स्कूल बसों में महिला कंडक्टर की उपलब्धता के संबंध में समय-समय पर परिवहन विभाग द्वारा जारी निर्देशों का पालन करना होगा।

15. सोसायटी/न्यास, के पंजीयन का नवीकरण किया जाएगा।

16. अधिनियम एवं नियम के उपबंधों और मान्यता की शर्तो का उल्लंघन पाए जाने तथा सिद्ध हो जाने पर मान्यता वापस ले ली जाएगी।

भवदीय.

जिला परियोजना समन्वयक

जिला शिक्षा केंद्र

Digitally signed by MAHENDRA PRATAP SINGH SENGAR
Date: 2025.02.20 12:34:11 +05:30
Reason: RTE school recognition
Location:

* मान्यता प्रमाण पत्र जिला परियोजना समन्वयक द्वारा डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित है, भौतिक हस्ताक्षर की कोई आवश्यकता नहीं है|

कार्यालय, लोक शिक्षण संचालनालय
,मध्यप्रदेश

(नवीन मान्यता प्रमाण पत्र)

क्रमांक/CERT11213/2024/DPI2410556

ग्वालियर, दिनांक : 16-05-2024

प्रति,

SSM RAM ANAMAY WORLD SCHOOL

विषय –नवीन मान्यता प्रमाण पत्र जारी करने विषयक

मध्यप्रदेश माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शाला मान्यता नियम 2017 के नियम (4) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आपके आवेदन पत्र क्र. DPI2410556 दिनांक 12-12-2023 प्रस्तुत की गयी जानकारी एवं जिला शिक्षा अधिकारी जिला DATIA के द्वारा किये गए परीक्षण के आधार पर हाई स्कूल (HS)स्कूलों की नवीन मान्यता प्रदान की जाती है जिसका विवरण निम्नानुसार है :

शाला का नाम :	**SSM RAM ANAMAY WORLD SCHOOL**
शाला का DISE कोड :	**23050141007**
शाला का प्रकार :	**हाई स्कूल (HS)**
माध्यम :	**English Hindi**
वैधता सत्र (पाँच वर्ष) :	**2024-25 से 2028-29 तक**

1. स्कूल उन्ही कक्षाओं व् संकायों में प्रवेश दे सकेगा, जिनके लिए उन्हें मान्यता दी गई है |
2. सक्षम अधिकारी द्वारा मान्यता या उसके विस्तार संबंधी जारी प्रमाण – पत्र प्राचार्य कक्ष में प्रदर्शित किया जायेगा |
3. स्कूल में कार्यरत प्राचार्य एवं अन्य शिक्षक एवं कर्मचारी किसी भी प्रकार की राजनैतिक गतिविधि में सम्मिलित नहीं होंगे और स्कूल द्वारा छात्रों को किन्ही भी राजनैतिक गतिविधियों में सम्मिलित नहीं किया जायेगा |
4. स्कूल, कार्यकरण के लिए आवश्यक विद्यार्थियों एवं कर्मचारियों के लेखे और अन्य ऐसे समुचित अभिलेखों का संधारण करेगा | विभाग के अधिकारी आकस्मिक रूप से कभी भी इन अभिलेखों का निरीक्षण कर सकेंगे |
5. स्कूल में अध्ययनरत छात्रों के पालकों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु "पालक -शिक्षक संघ" का गठन किया जावेगा |
6. स्कूल, श्रेष्ठ अकादमिक गुणवत्ता के मापदण्ड प्राप्त करने हेतु सतत प्रयास करेगा | प्रत्येक तीन वर्ष की अवधि में समस्त शिक्षकों को उनके सम्बंधित विषय में कम से कम एक बार प्रशिक्षित किया जायेगा |
7. सम्यक निरीक्षण के पश्चात् एक बार मान्यता प्रदान कर दिए जाने पर सोसायटी /ट्रस्ट,मान्यता के समय दावाकृत किन्ही भी मापदण्डों को परिवर्तित नहीं करेगा|स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारी किसी भी समय स्कूल परिसर का निरीक्षण कर सकते हैं |यदि निरीक्षण के समय यह पाया जाता है कि सोसायटी /ट्रस्ट किन्ही मापदण्डों का पालन नहीं कर रहा है तो संभागीय संयुक्त संचालक को नियम 11 के उपनियम(1)में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए स्कूल की मान्यता निलंबित करने और पश्चातवर्ती इसे वापस लेने की शक्ति होगी |
8. यदि नियम 5 और 9 के अधीन विहित मानकों,शर्तों और उत्तरदायित्वों तथा समय–समय पर जारी निर्देशों एवं मार्गदर्शन का प्रथम दृष्ट्या पालन नहीं किया जाना पाया जाता है तो अधोहस्ताक्षरकर्ता को जाँच के आधार पर स्कूल की मान्यता निलंबित करने की शक्ति होगी |
9. कारण बताओ सूचना पर जारी किए जाने की दशा में यदि सोसायटी /ट्रस्ट से प्राप्त उत्तर से संभागीय संयुक्त संचालक का समाधान नहीं होता है तो वह सम्बंधित को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् स्कूल की मान्यता उसके कारण विनिर्दिष्ट करते हुए रद्द कर सकेगा |
10. मान्यता के प्रत्याहरण होने पर,प्रस्तुत की गई सुरक्षा निधि को पूर्णतः या अंशतः,जैसा कि आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए,सम्पहृत हो जाएगी|
11. माध्यमिक शिक्षा मंडल से सम्बद्धता प्राप्त करना अनिवार्य होगा |

Signature valid
Digitally Signed By DEEPAK KUMAR PANDEY
(PERSONAL)
Date : 16-May-2024 13:21:12 IST

संभागीय संयुक्त संचालक,लोक शिक्षण,
संभाग–ग्वालियर
,मध्यप्रदेश

PS → 59506 / PS59795

School Recognition Certificate generated and downloaded from Education Portal [www.educationportal.mp.gov.in]

प्ररूप 2 (नियम 11 (4) देखिए)

शिक्षा का अधिकार

सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी (DATIA), मध्यप्रदेश

दूरभाष:- फैक्स: ई-मेल:

क्रमांक:/स्कूल आई.डी. - 05022203/59795

प्रति, दिनांक:-

प्रबंधक,

(S SM RAM ANAMAY WORLD SCHOOL)

विषय: निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम,2010 के नियम 11 के उपनियम (4) के अधीन स्कूल मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके आवेदन पत्र दिनांक 16/01/2018 तथा इस संबंध में स्कूल से पश्चातवर्ती पत्र व्यवहार/ निरीक्षण के संदर्भ में, मैं आपकी स्कूल -S SM RAM ANAMAY WORLD SCHOOL, Unao road datia को कक्षा Nursery से कक्षा 8 तक के लिए दिनांक 01/04/2018 से 31/03/2021 तक कालावधि के लिए मान्यता प्रदान करता हूं।

उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्यधीन होगी:-

- मान्यता विस्तारित नहीं होगी तथा कक्षा 8 से आगे की मान्यता/संबद्धता की कोई बाध्यता किसी भी रूप में विवक्षित नहीं होगी।
- स्कूल निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपाबंध 1) तथा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 (उपाबंध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।
- स्कूल, अपने पड़ोस की सीमा के वंचित समूह तथा कमजोर वर्ग के बालकों को कक्षा 1 में न्यूनतम 25 प्रतिशत प्रवेश देगा। उस दशा में, स्कूल यदि सहायता प्राप्त स्कूल है तो इसमें प्रवेशित बालकों को उस अनुपात में निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा देगा जिस रूप में उसके वार्षिक आवर्ती व्यय को पूरा करने हेतु इस प्रकार वार्षिक आवर्ती सहायता या अनुदान प्राप्त होता है किंतु यह न्यूनतम पच्चीस प्रतिशत के अधीन होगा बशर्तें कि जहां स्कूल पूर्व स्कूल (प्रि स्कूल) शिक्षा दी जाती है वहां अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (1) के खण्ड (क) से (ग) के उपबंध प्रि-स्कूल में प्रवेश के लिए लागू होंगे।
- पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए स्कूल को अधिनियम की धारा 12 (2) के अनुसार व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी तथा ऐसी प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए स्कूल को पृथक से बैंक खाता उपलब्ध कराना होगा।
- सोसाइटी/स्कूल कोई भी कैपिटेशन फीस का संग्रह नहीं करेगा तथा बालक या उसके पालक या अभिभावक के साथ किसी छानबीन प्रक्रिया को नहीं अपनाएगा।
- स्कूल किसी भी बालक को प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा-
  - (क) आयु के सबूत के अभाव में;
  - (ख) यदि प्रवेश के लिए विहित की गई विस्तारित कालावधि के पश्चात् ऐसा प्रवेश चाहा गया है;
  - (ग) धर्म, जाति या मूलवंश, जन्मस्थान या इनमें से किसी भी आधार पर।
- स्कूल सुनिश्चित करेगा कि-
  - किसी स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी भी बालक को किसी कक्षा में रोका या निष्कासित नहीं किया जाएगा;
  - किसी बालक को शारीरिक या मानसिक रूप से प्रताडित नहीं किया जाएगा;
  - प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक बालक को कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता नहीं होगी;
  - नियम 19 के अधीन प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बालक को प्रमाण पत्र दिया जाएगा;
  - अधिनियम के उपबंधों के अनुसार निःशक्त/विशेष आवश्यकता वाले बालकों को समाहित किया जाएगा;
  - अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन निर्धारित न्यूनतम योग्यता अनुसार शिक्षकों की भर्ती की जाएगी; बशर्तें कि वर्तमान में कार्यरत जो शिक्षक इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर न्यूनतम अर्हता नहीं रखते हैं, उन्हें अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से 5 वर्ष की अवधि में निर्धारित न्यूनतम अर्हता प्राप्त करनी होगी ;
  - शिक्षकों को अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट कर्तव्यों का पालन करना होगा;
  - प्रायवेट टीचिंग की गतिविधियों में शिक्षक स्वयं भाग नहीं लेंगे/लेंगी।
- स्कूल समुचित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित पाठ्यचर्या का अनुसरण करेगा।
- अधिनियम की धारा 19 में विहित किए अनुसार स्कूल में उपलब्ध सुविधा के अनुपात में स्कूल में बच्चों का नामांकन किया जाएगा।

Validity unknown

Digitally signed by Anil Kumar Tiwari
Date: 2018.01.29 17:53:59 GMT+05:00
Reason: Digitally Sign
Location: NIC

- स्कूल व्दारा अधिनियम की धारा 19 में विनिर्दिष्ट स्कूल के मानक एवं मापदण्ड बनाए रखे जाएंगे। अंतिम निरीक्षण के समय स्कूल में उपलब्ध सुविधाएं निम्नानुसार पाई गयीं:-

	सुविधाऐं	पोर्टल मे दर्ज़	वास्तविक स्थिति
8	स्कूल के भवन की स्थिति	स्वयं का भवन	स्वयं का भवन
9	स्कूल का कुल क्षेत्रफल (वर्ग फीट में)	146300	146300
10	स्कूल का निर्मित क्षेत्रफल (वर्ग फीट में)	6000	6000
11	खेल मैदान का क्षेत्रफल (वर्ग फीट में)	140300	140300

ङ.	अधोसंरचना का विवरण					
		Rooms as	पोर्टल मे दर्ज़		वास्तविक स्थिति	
	कक्ष	per RTE	संख्या	औसत आकार (वर्ग फीट में)	संख्या	औसत आकार (वर्ग फीट में)
1	कक्षा आठवीं तक उपयोग में आ रहे कक्षा कक्ष		20	500	20	500
2	कार्यालय कक्ष-सह-भण्डार कक्ष-सह-प्रधानाध्यापक कक्ष		1	500	1	500
3	भोजनालय-सह-भण्डार		1	500	1	500

घ.	अन्य सुविधाऐं	पोर्टल मे दर्ज़	वास्तविक स्थिति
1	क्या सभी सुविधाओं तक पहुंच बाधा रहित है हां/नहीं	हाँ	हाँ
2	पठन पाठन सामग्री (हस्ताक्षरित सूची अपलोड करें)	हाँ	हाँ
3	खेलकूद एवं खेल उपकरण (हस्ताक्षरित सूची अपलोड करें)	हाँ	हाँ
4	पुस्तकों की संख्या	150	150
5	पत्रिकाएं/समाचार पत्र	5	5
6	पेयजल सुविधा का प्रकार	Tube Well	Tube Well
7	पेयजल सुविधा की संख्या	5	5
8	[illegible]	[illegible]	[illegible]
9	लड़कों के लिए पृथक शौचालयों की संख्या	12	12
10	लड़कियों के लिए पृथक शौचालयों की संख्या	12	12
11	विकलांग बच्चों के लिए उपयुक्त शौचालयों की संख्या	1	1
12	क्या अग्नि सुरक्षा प्रणाली उपलब्ध है ? हां/नहीं	हाँ	हाँ

- लेखे संपरीक्षित किए जाएंगे तथा चार्टड एकाउन्टेंट व्दारा सत्यापित होंगे और उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार होगा। प्रत्येक लेखाओं के विवरणों की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जाएगी।
- आपकी स्कूल का मान्यता कोड नम्बर..05022203.. एवं डाईसकोड (DISE) 23050141007 है। इस कार्यालय के साथ पत्राचार में यह कोड नम्बर संदर्भित किए जाएं।
- ऐसी रिपोर्ट और जानकारी स्कूल व्दारा प्रस्तुत की जाएगी, जो राज्य शिक्षा केन्द्र/जिला शिक्षा अधिकारी व्दारा समय-समय पर अपेक्षित की जाए, और स्कूल राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करेगा, जैसा कि स्कूल के संचालन की कमियों को दूर करने के लिए अथवा मान्यता की शर्तों की निरन्तर पूर्ति सुनिश्चित करने हेतु जारी किए जाएं।
- सोसायटी/न्यास, यदि कोई हो, के पंजीयन का नवीकरण किया जाएगा।
- अन्य शर्तें संलग्न उपाबंध "तीन" के अनुसार होंगी।
- अधिनियम एवं नियम के उपबंधों और मान्यता की शर्तों का उल्लंघन पाए जाने तथा सिद्ध हो जाने पर मान्यता वापस ले ली जाएगी।

भवदीय,

जिला शिक्षा अधिकारी

जिला DATIA मध्यप्रदेश

Office of the District Education Officer (DATIA), Madhya Pradesh

Memo
No./School 05022203/59795 **Date:** *29/01/2018*
I.D.:

To,
The Principal,
SSM RAM ANAMAY WORLD SCHOOL

Subject: Regarding the grant of **Recognition Certificate** under Rule 4(4) of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009, and Rule 11 of the MP Right to Free and Compulsory Education Rules, 2010

Sir/Madam,
With reference to your application dated **15/01/2018**, the **SSM RAM ANAMAY WORLD SCHOOL** located in your district, which runs classes from **Nursery to Class 8**, is granted recognition for the academic session from **01/04/2018 to 31/03/2021** subject to the mandatory compliance with the following prescribed conditions:

Mandatory Compliance with the Following Prescribed Conditions:

1. Recognition will **not** be granted for classes higher than Class 8, nor will it be valid for any other branch of the institution.
2. The institution must comply with the provisions of the **Right to Children to Free and Compulsory Education Act, 2009, and the Rules, 2010.**
3. The institution must ensure the admission of at least **25% children** from the economically weaker sections and disadvantaged groups in the entry-level class, and shall provide them with free and compulsory primary education. For the children admitted under this provision, the school shall not charge any fees for textbooks, uniforms, transport, etc.
4. It must be ensured that the facilities mentioned in Section 12 (2) of the RTE Act are made available to the students admitted under the provision, and that fees are not collected from them in any way.
5. **Capitation fees will not be charged**, nor will any screening procedure be conducted on the child or guardian at the time of admission.
6. The school will not refuse admission to any child.
7. Admission will be granted on the basis of: (a) Age-appropriate class, regardless of when the child was brought for admission. (b) Not on the basis of **caste, community, place of birth, or any similar ground.**
8. The school will ensure that: (a) No student admitted to the school will be failed or expelled before completing primary education. (b) A child who has not completed education up to Class 5 and is above 6 years of age will be admitted to the age-appropriate class. (c) No physical punishment or mental harassment will be inflicted on children. (d) A certificate of completion of primary education will be provided to the student upon completing Class 8. (e) The school will arrange for special training for children who are unable to keep up with the age-appropriate class level. (f) There should be a sufficient number of permanent or temporary teachers appointed by the school management, in accordance with the prescribed number under **Section 23(1) and Rule 24(1) of the RTE Act.** (g) Teachers will not be engaged in non-teaching activities. (h) The school will maintain the prescribed pupil-teacher ratio.
9. The school shall ensure compliance with the standards and norms prescribed in Section 19 of the RTE Act.
10. The school shall appoint teachers/students in proportion to the number of sanctioned classrooms.

Anil Tripathi
Public Notary
Tiraidan Ka Kuwa.Datia (M.P.)
06.10.25

ATTESTED
06.10.25
NOTARY PUBLIC DATIA
GOVT. OF INDIA

Signature
Name
District Education Officer,
Datia, Madhya Pradesh

- The school must comply with the standards and norms prescribed in **Section 19** of the RTE Act. For this purpose, the school will arrange for the necessary facilities mentioned below to be available in the school premises.

S. No.	School Facilities	Unit of Measurement	From Portal	Actual Status	From Portal	Actual Status
8	School Land Area	Sq. meters	146300	Same as Portal	146300	Same as Portal
9	Total Constructed Area	Sq. meters	6000	Same as Portal	6000	Same as Portal
10	Playground Area	Sq. meters	140300	Same as Portal	140300	Same as Portal
11	Total Seating Capacity (Rooms)	Sq. meters	140300	Same as Portal	140300	Same as Portal

S. No.	Infrastructure Details	Per RTE Norms	Number	Actual Size (in Sq. m)	Actual Number	Average Size (in Sq. m)
1	Number of Classrooms in use		20	500	20	500
2	Laboratories/Computer Lab/Store Rooms		1	500	1	500
3	Principal's/Headmaster's Office		1	500	1	500

S. No.	Amenities/Utilities	Per RTE Norms	Status	Actual Status
1	Separate Toilets for Boys and Girls	Yes	Yes (हाँ)	Yes (हाँ)
2	Clean Drinking Water Facility	Yes	Yes (हाँ)	Yes (हाँ)
3	Availability of Library Books	Yes	150	Yes (हाँ)
4	Playground	Yes	Yes (हाँ)	Yes (हाँ)
5	Kitchen/Cooking Shed (for Mid-day Meal)	Yes	Yes (हाँ)	Yes (हाँ)
6	Power Supply Arrangement	Yes	Tube Well	Tube Well
7	Boundary Wall around the premises	Yes	5	5

S. No.	Teacher Details	Per RTE Norms	Number
8	Number of Teachers for Primary Classes		12
9	Number of Teachers for Upper Primary Classes		12
10	Number of Subject Teachers		12
11	Number of Teachers for Co-curricular Activities		1
12	Is there adequate safety for children?	Yes	Yes (हाँ)

- The school's accounts will be prepared by a **Chartered Accountant** based on the double-entry accounting system and presented for public review.
- The school's DISE code is **23050141007**. This code will be displayed at a prominent place in the school.
- The school management must comply with the general guidelines issued by the District Education Center/State Education Center/State Government from time to time, as well as ensure the resolution of complaints regarding the school's management.
- The school must ensure compliance with all norms related to the **fire safety certificate**, building safety certificate, and transport safety certificate.
- The school must ensure compliance with other conditions mentioned in the Act and Rules.
- **The recognition will be withdrawn if there is any failure to comply with the provisions and conditions of the Act and Rules.**

Signature
Name
District Education Officer,
Datia, Madhya Pradesh

ATTESTED
NOTARY PUBLIC DATIA
GOVT. OF INDIA

NOTARY PUBLIC
Anil Tripathi
Advocate
Reg.No.-14528
Exp.on-10-09-2029
Area Distt.Datia
GOVT.OF INDIA

Office of the District Project Coordinator

District Education Centre, Datia

Application Number: 179506 **Application Type: Renewal of Recognition** **Recognition Date: 20/02/2025**

To,

President,

Shri Swami Ji Maharaj Jan Sahyog Shiksha Samiti

S Sm Ram Anamay World School DATIA,

Datiya, Madhya Pradesh

Subject:Certificate of Recognition for the School under sub-rule (4) of rule 11 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Rules, 2011 for the purpose of Section 18 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009.

Sir/Madam,

With reference to your application dated **15/01/2025** and subsequent correspondence/inspection from the school in this regard, I hereby grant recognition to your **S Sm Ram Anamay World School** School ID-**PS59795**Vikaskhand DATIA School Type **Primary cum Secondary**, Medium of Instruction **English** Classes **Pre Primary-Nursery to VIII** for the period from **01/04/2025 to 31/03/2028.**

The above approval will be subject to the fulfillment of the following conditions:

1. Recognition will not be extended and no obligation to recognize beyond Class 8 will be implied in any way.
2. The school will comply with the provisions of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 and the Right of Children to Free and Compulsory Education Rules, 2011.
3. The school will admit 25 percent of children from disadvantaged groups and weaker sections of the school's neighbourhood in the first class of the school. In the event of a school being an aided school, it will provide free and compulsory elementary education to the children admitted in the same proportion as it receives annual recurring assistance or grant to meet its annual recurring expenditure.
4. The school will be reimbursed expenses in accordance with Section 12(2) of the Act for the children specified in paragraph 3 and will be required to provide a separate bank account for receiving such reimbursement.
5. The Society School will not collect any capitation fees and will not conduct any screening process with the child or his/her parent or guardian.
6. The school shall not refuse admission to any child:
   (a) for want of proof of age;
   (b) if such admission is sought after the expiry of the prescribed period;
   (c) on grounds of religion, caste or race, place of birth or any of them.
7. The school shall ensure that:
   a) no child admitted to a primary school shall be expelled until the completion of elementary education.
   b) the child shall be granted unhindered promotion to classes other than Classes 5 and 8 until the completion of elementary education.
   c) no child shall be subjected to corporal punishment or mental harassment.
   d) every child who completes elementary education shall be issued a certificate under Rule 19.
   e) children with special needs and disabilities shall be accommodated in accordance with the provisions of the Act.
   f) only teachers possessing the qualifications prescribed under Section 23(1) of the Act shall be employed. The school shall maintain the arrangement for the appointment of teachers fulfilling the criteria specified in Sections 19 and 25 of the Act for the duration of its recognition.
   g) teachers shall perform the duties specified under Section 24(1) of the Act.
   h) teachers shall not engage in private teaching activities.
   i) Fire safety arrangements should be established in accordance with the norms specified under Part 4 of the National Building Code of India.
   j) The fees to be charged from children every year should be notified in such a manner as directed by the Commissioner, State Education Centre, before the commencement of the academic session and this information should also be given to the

ATTESTED
06.10.25
NOTARY PUBLIC DATIA
GOVT. OF INDIA

DistrictEducation Officer before the commencement of the academic session. Fees can be increased only as per the rules of the Madhya Pradesh Private School Regulation Board.

8. The school will follow the curriculum prescribed by the appropriate authority.
9. The school will enroll children in proportion to the facilities available in the school as prescribed in Section 19 of the Act.
10. The school will maintain the school standards and standards specified in Section 19 of the Act. The facilities available in the school at the time of last inspection were found to be as follows:

1. Status of school building	Own building
2. Area of school campus	146300
3. Total built up area	6000
4. Area of play ground	140300
5. No. of class rooms	15
6. Headmaster's room-cum-office-cum-store room	3
7. Separate toilets for boys and girls	18
8. Clean drinking water facility	Yes
9. Kitchen for mid day meal	1
10. Barrier free access	Yes
11. Study material	Yes
12. Games and sports equipment	Yes
13. Availability of library	Yes
14. No. of teachers	12

11. The accounts will be audited and verified by a Chartered Accountant and proper statements of accounts will be prepared in accordance with the rules. A copy of each statement of accounts will be sent to the District Project Coordinator every year.
12. The Recognition Code Number allotted to your school is 59795. This code number should be referenced in all correspondence with this office.
13. The school will submit such reports and information as may be required from time to time by the School Education Department/State Education Centre/District Education Centre, and will comply with such instructions of the State Government/Local Authority as may be issued for removing deficiencies in the running of the school or for ensuring the continued fulfillment of the conditions of recognition.
14. If a school provides transportation to its students, it must ensure that the vehicles comply with the safety standards prescribed by the government. The school must comply with the instructions issued from time to time by the Transport Department regarding the availability of female conductors in school buses.
15. The registration of the Society Trust will be renewed.
16. If any violation of the provisions of the Act and Rules and the conditions of recognition is found and proven, the recognition will be withdrawn.

Anil Tripathi 06.10.25
Public Notary
Mudian Ka Kuwa.Datia (M.P.)

ATTESTED
06.10.25
NOTARY PUBLIC DATIA
GOVT. OF INDIA

Digitally signed by MAHENDRA PRATAP SINGH SENGAR
Date: 2025.02.20 12:34:11 +05:30
Reason: RTE school recognition
Location

Yours faithfully,
District Project Coordinator,
District Education Centre

NOTARY PUBLIC
Anil Tripathi
Advocate
Reg.No.-14528
Exp.on-10-09-2029
Area Distt.Datia
GOVT. OF INDIA

Directorate of Public InstructionMadhya Pradesh(Affiliation Certificate)

Memo No.: CERT/11213/2024/DPI/2410556 **Gwalior, Date: 16-05-2024**

To,
SSM RAM ANAMAY WORLD SCHOOL
Subject: Regarding the grant of new affiliation certificate
In exercise of the powers conferred under Rule (4) of the Madhya Pradesh Secondary and Higher Secondary School Recognition Rules, 2017, your application number: DPI 2410556 dated: 12-12-2023 based on the information provided and the testing done by the District Education Officer, District DATIA, High School (HS) schools are granted new recognition.
The details of which are as follows:

School Name:	**SSM RAM ANAMAY WORLD SCHOOL**
School DISE Code:	**23050141007**
School type:	**High School**
Affiliation Granted to:	**English Medium**
Validity Period (Five Years):	**2024-25 to 2028-29**

1. The school will be able to give admission only in those classes and faculties for which it has been recognized.
2. The certificate of recognition or its extension issued by the competent authority will be displayed in the Principal's room.
3. The Principal, teachers and staff working in the school will not be involved in any kind of political activity and the school will not be involved in any political activity.
4. The school shall maintain student and staff records and other appropriate records necessary for the program. Department officials may inspect these records at any time.
5. Parent Teacher Association will be formed to enhance the participation of parents of students studying in the school.
6. The school will continuously strive to achieve the best academy quality standards. All teachers will be trained in a number of relevant subjects at least once every 3 years.
7. Once the recognition is granted after all the inspections, the Committee/Trust will not change any of the parameters imposed at the time of recognition.
8. The undersigned shall have the power to suspend the recognition of the school on the basis of an inquiry if the standards, conditions and responsibilities prescribed under Rule 5 and 9 and the instructions and guidelines issued from time to time are found to be prima facie not followed.
9. In case of issue of show cause notice, if the Divisional Joint Director is not satisfied with the reply received from the Society/Trust, then after giving the opportunity of hearing to the concerned, he may cancel the recognition of the school by specifying the reasons thereof.
10. In case of withdrawal of recognition, the security deposit submitted shall be forfeited in whole or in part, as may be specified in the order.
11. Obtaining affiliation to the Board of Secondary Education shall be mandatory.

ATTESTED
26.10.25
NOTARY PUBLIC DATIA
GOVT. OF INDIA

Signature valid

Digitally Signed By DEEPAK KUMAR PANDEY
(PERSONAL)
Date: 16-May-2004 13/212 IST

Anil Tripathi
Public Notary
Murlian Ka Kuwa.Datia (M.P.)
26.10.25

Divisional Joint Director, Public Education,
Division-Gwalior,
Madhya Pradesh